"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 471] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 सितम्बर 2023 — भाद्रपद 24, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 15 सितम्बर 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–40/2022/वाक/पांच (34). – छत्तीसगढ़ बकाया कर ब्याज, एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 (क. 10 सन् 2023) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अधीन उद्ग्रहित, देय या अधिरोपित बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

अध्याय–एक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. – (1) यह नियम छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान नियम, 2023 कहलायेगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ. –(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''**अधिनियम**'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 (क. 10 सन् 2023);

(ख) ''**प्ररूप**'' से अभिप्रेत है इन नियमों में संलग्न प्ररूप ।

(2) सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इन नियमों में प्रयुक्त है किंतु विशेष रुप से परिभाषित नहीं है, के वही अर्थ होंगे, जैसा कि अधिनियम में उनके लिए परिभाषित है।

अध्याय–दो

3. पदनामित समिति का गठन.– (1) पदनामित समिति का गठन आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

(2) पदनामित समिति में–

(क) जहां बकाया की राशि रूपए 10 करोड़ या उससे अधिक हो, वहां अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर एवं एक ऐसा अधिकारी, जो उपायुक्त वाणिज्यिक कर की श्रेणी से निम्न का न हो, सदस्य होंगे;

(ख) जहां बकाया की राशि रूपए 10 करोड़ से कम हो, वहां उपायुक्त वाणिज्यिक कर एवं एक ऐसा अधिकारी, जो सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर की श्रेणी से निम्न का न हो, सदस्य होंगे;

(ग) जहां बकाया की राशि रूपए 2 करोड़ से अनधिक हो, वहां सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर एवं एक ऐसा अधिकारी, जो वाणिज्यिक कर अधिकारी की श्रेणी से निम्न का न हो, सदस्य होंगे;

(घ) जहां बकाया की राशि रूपए 50 लाख से अनधिक हो, वहां वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं एक ऐसा अधिकारी, जो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की श्रेणी से निम्न का न हो, सदस्य होंगे;

(ड.) जहां बकाया की राशि रूपए 5 लाख से अनधिक हो, वहां सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं वाणिज्यिक कर निरीक्षक, सदस्य होंगे;

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनार्थ "बकाया की राशि" से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति अथवा व्यवसायी पर सुसंगत अधिनियम के अधीन एक वित्तीय वर्ष या उसके भाग की बकाया राशि।

(3) आयुक्त, एक वरिष्ठ सदस्य को पदनामित समिति के अध्यक्ष के रुप में नामांकित कर सकेगा।

(4) आयुक्त को उप–नियम (1) के अंतर्गत गठित समिति में ऐसे अन्य अधिकारियों को नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति होगी, जैसा कि वह पदनामित समिति के सदस्यों की सहायता के लिए उपयुक्त समझे।

(5) आयुक्त, ऐसी संख्या में पदनामित समिति गठित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

अध्याय–तीन

4. निपटान के लिए पात्रता.–

(1)अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति, आवेदन करने के दिनांक को, अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (2) के संबंध, ब्याज सहित बकाया राशि के निपटान करने के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे:

परंतु यह कि उपरोक्त ब्याज की गणना, सुसंगत अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जाएगी और इसे ब्याज के बकाया की संगणना के दौरान उसमें जोड़ा जाएगा।

(2) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना, 2010 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति, उक्त योजना के पश्चात् की अवधियों के बकाया के संबंध में ही, इस अधिनियम के अंतर्गत निपटान हेतु पात्र होंगे।

5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति.–

(1) आवेदक द्वारा आवेदन, प्ररूप **सीएसए–1** में शासन द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विहित अवधि के दौरान, ऐसे वृत्त के वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आवेदक पंजीकृत है अथवा पंजीकृत था अथवा पंजीयन हेतु दायित्वाधीन था।

(2) आवेदन पत्र की प्राप्ति पर, आवेदक को, अभिस्वीकृति पत्र (पावती) प्ररूप **सीएसए–1क** में वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

(3) प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष हेतु सुसंगत अधिनियमवार एवं वर्षवार, पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनार्थ ''वर्ष'' से अभिप्रेत है अप्रैल माह की पहली तारीख से प्रांरभ होने वाला और उसके आगामी मार्च माह की इकत्तीस तारीख को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष और इसके अंतर्गत वर्ष का भाग सम्मिलित है।

(4) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे :–

(एक) कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण अथवा शास्ति अथवा अन्य वैधानिक कार्यवाही में पारित आदेश की अभिप्रमाणित प्रति; एवं

(दो) सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत बकाया के भुगतान या किसी राशि हेतु जारी मांग पत्र की प्रमाणित प्रति; एवं

(तीन) मांग पत्र के पालन में यदि पूर्व में कोई राशि जमा की गई हो या वसूल की गई हो, तो चालान की प्रमाणित प्रति; एवं

(चार) सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय अथवा वाणिज्यिक कर अधिकरण अथवा छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर विभाग अथवा आयुक्त अथवा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत लंबित अपील अथवा पुनरीक्षण अथवा रिट याचिका अथवा संदर्भ आवेदन, जैसी भी स्थिति हो, के प्रत्याहरण की अभिप्रमाणित प्रति; एवं

(पांच) बकाया के संबंध में आवेदन से पूर्व किया गया आंशिक भुगतान, यदि कोई हो, की प्रमाणित प्रति; एवं

(छः) प्ररूप सीएसए–1 में दिये गये विशिष्टियों की सत्यता के संबंध में शपथ पत्र, जो उसके सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास से सत्य हो; एवं

(सात) अन्य कोई दस्तावेज, जैसा आयुक्त लिखित आदेश में विनिर्दिष्ट करे।

(5) अधिनियम के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा।

(6) आवेदन पत्र, कारोबार के स्वत्वधारी द्वारा अथवा किसी फर्म या भागीदारी के मामले में फर्म के किसी भागीदार या संचालक द्वारा, अथवा किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के कारोबार के मामले में हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के प्रबंधक या कर्ता द्वारा अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का सं.18) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन निगमित या निगमित समझी गई किसी कंपनी के मामले में कारोबार का प्रबंध करने वाले प्रधान अधिकारी द्वारा अथवा किसी सोसाइटी, क्लब या एसोसिएशन के मामले में ऐसी सोसाइटी, क्लब या एसोसिएशन के अध्यक्ष या उसके प्रबंध के लिए उत्तरदायी सचिव द्वारा अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार या उनके किसी विभाग के मामले में माल का विक्रय या आपूर्ति या वितरण करने के कारोबार के भारसाधक अधिकारी द्वारा और किसी ऐसे व्यापारी के मामलें में, जो राज्य के बाहर निवास करता हो, किंतु जिसका कारोबार का स्थान इस राज्य में हो, उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(7) उप–नियम (1) के अंतर्गत किया गया आवेदन, इस नियम के अंतर्गत विहित प्ररूप में ही किया जाएगा।

(8) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि, शासन द्वारा पृथक से अधिसूचित की जाएगी।

अध्याय–चार

6. पदनामित समिति द्वारा निपटान आदेश जारी करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया.–

(1) आवेदन पत्र की प्राप्ति के पश्चात् वाणिज्यिक कर अधिकारी, आवेदन पत्र को प्रकरण से संबंधित सुसंगत दस्तावेजों के साथ समुचित पदनामित समिति के समक्ष, आवेदन पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अंतरित करेगा:

परंतु यह कि जहां वाणिज्यिक कर अधिकारी से आवेदन की प्राप्ति पर, पदनामित समिति की यह राय है कि ऐसे आवेदन पर किसी अन्य पदनामित समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए तो ऐसा प्रकरण पदनामित समिति द्वारा ऐसे अन्य समुचित पदनामित समिति को अंतरित किया जाएगा और इसकी सूचना आवेदक को दी जाएगी।

(2) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, आवेदक के द्वारा प्रस्तुत विशिष्टियों एवं विभाग में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पदनामित समिति आवेदन का परीक्षण करेगी।

(3) आवेदन पत्र में कोई विसंगति पाये जाने पर, पदनामित समिति, आवेदन पत्र की प्राप्ति के 45 दिवस के भीतर प्ररूप सीएसए–2 में सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु सूचना पत्र जारी करेगी।

(4) आवेदक स्वयं या उसका विधिक प्रतिनिधि या प्राधिकृत प्रतिनिधि, इस नियम के अंतर्गत व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पदनामित समिति के समक्ष उपसंजात हो सकेगा।

(5) आवेदक, सूचना पत्र में उल्लिखित विसंगतियों के संबंध में ऐसे सूचना पत्र की प्राप्ति से 7 दिवस के भीतर, प्रतिउत्तर प्रस्तुत करेगा।

7. निपटान आदेश जारी करना.–

(1) पदनामित समिति, सूचना पत्र में उल्लिखित विसंगतियों के संबंध में आवेदक से प्राप्त प्रतिउत्तर का परीक्षण करेगी तथा प्रतिउत्तर समुचित पाये जाने पर, पदनामित समिति, आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 90 दिवस के भीतर प्ररूप सीएसए–3 में निपटान राशि विनिर्दिष्ट करते हुए निपटान आदेश जारी करेगी। सूचना पत्र में उल्लिखित विसंगतियों के संबंध में आवेदक का प्रतिउत्तर समुचित नहीं पाये जाने पर अथवा आवेदक से सूचना पत्र में उल्लिखित तिथि तक प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होने पर, पदनामित समिति, प्रकरण को आवेदन पत्र की प्राप्ति के 90 दिवस के भीतर आदेश द्वारा खारिज करेगी।

(2) यदि आवेदन पत्र में कोई विसंगति नहीं पाई जाती है, तब पदनामित समिति, आवेदन पत्र के सम्यक् सत्यापन (परीक्षण) के पश्चात्, ऐसे आवेदन पत्र प्राप्त होने के 90 दिवस के भीतर, प्ररूप सीएसए–3 में निपटान राशि विनिर्दिष्ट करते हुये निपटान आदेश जारी करेगी:

परंतु यह कि, यदि पदनामित समिति, आवेदन पत्र में प्रस्तुत तथ्यों के सम्यक् परीक्षण के पश्चात् प्रकरण को अपात्र पाती है, तो ऐसे प्रकरण को ऐसे आवेदन की प्राप्ति के 90 दिवस के भीतर आदेश द्वारा खारिज करेगी।

अध्याय–पांच

8. निपटान राशि का निर्धारण.– पदनामित समिति, अधिनियम में यथापरिभाषित बकाया की राशि में से अधिनियम की अनुसूची–क के अनुसार अनुतोष की राशि को घटाकर प्राप्त राशि को, निपटान राशि के रूप में संगणित किया जाएगा:

परंतु यह कि ऐसे मामलों में, जहां बकाया का आंशिक भुगतान, अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व कर दिया गया हो, तो अधिनियम की अनुसूची–क के

अनुसार अनुतोष की राशि को घटाने पर प्राप्त राशि में से पूर्व भुगतान को समायोजित करने के पश्चात् निपटान राशि की संगणना की जाएगी।

9. सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत किये गये किसी भुगतान का समायोजन तथा बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति, यदि हो, का निपटान.—

(1) कोई भुगतान, जो अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि को या उसके पूर्व किया गया हो, को ऐसे बकाया कर, ब्याज और शास्ति में क्रमशः उसी अनुपात में समायोजित किया जाएगा, जिस अनुपात में उनका बकाया है।

(2) उप—नियम (1) के अनुसार पूर्व में भुगतान की गई राशि के समायोजन पश्चात् अतिशेष राशि, यदि कोई हो का प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(3) अधिनियम की धारा 6 के परंतुक के अध्यधीन इन नियमों के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पश्चात् पारित किए गए सांविधिक आदेश से संबंधित बकाया का निपटान नहीं किया जाएगा।

(4) इन नियमों के अधीन निपटान राशि का भुगतान किश्तों में किए जाने की अनुमति नहीं होगी।

10. भुगतान करने का प्ररूप एवं रीति.—आवेदक, आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निपटान राशि का भुगतान, सुसंगत अधिनियमों एवं इसके अधीन निर्मित नियमों में विहित रीति एवं चालान प्ररूप में प्रत्येक प्रकरण के लिए पृथक—पृथक करेगा।

11. निपटान प्रमाण पत्र जारी करना.—पदनामित समिति को यह समाधान हो जाने पर कि निपटान राशि, जैसा कि उसके द्वारा अवधारित किया गया है, का संपूर्ण भुगतान आवेदक के द्वारा कर दिया गया है एवं ऐसे भुगतान का साक्ष्य तथा अपील या रिट या याचिका, जैसी भी स्थिति हो, के प्रत्याहरण का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया गया हो, तो निपटान प्रमाण पत्र प्ररूप सीएसए—4 में ऐसे साक्ष्यों की प्रस्तुति दिनांक के तीस दिवस के भीतर जारी किया जाएगा।

अध्याय—छः

12. कार्यवाहियों का अंतरण. —

(1) आयुक्त, इन नियमों के अंतर्गत किन्हीं कार्यवाहियों का अंतरण, नियम 3 के अंतर्गत गठित एक पदनामित समिति से ऐसी दूसरी सक्षम पदनामित समिति को, कर सकेगा और ऐसी किसी कार्यवाही या कार्यवाहियों के अंतरण के बारे में आवेदक को सूचना भेजी जायेगी।

(2) जहां कोई कार्यवाही या कार्यवाहियां अंतरित की गई है, वहां वह पदनामित समिति, जिसे कार्यवाहियों का अंतरण हुआ है, उसका निपटारा करने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा, मानो यह उक्त पदनामित समिति द्वारा ही शुरू की गई हो। ऐसे अंतरण के कारण, अंतरण के पूर्व में ही जारी की गई किसी सूचना का पुनः जारी किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

अध्याय–सात

13. अपील.– निपटान आदेश प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर अधिनियम की धारा 14 के अधीन पदनामित समिति के आदेश के विरुद्ध अपील, प्ररूप सीएसए–5 में आयुक्त, वाणिज्यिक कर के समक्ष की जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिम शिखर गुप्ता, सचिव.

प्ररूप–सीएसए–1

(नियम 5 (1) देखिये)

छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 की धारा 6 के अधीन आवेदन पत्र

1. व्यवसायी/फर्म का नाम

----

2. करदाता पहचान क्रमांक (TIN)/पंजीयन क्रमांक

----

3. पता---

4. मोबाईल नं.

----

5. ई–मेल आईडी

----

6. स्थायी खाता क्रमांक (PAN)

----

7. सुसंगत अधिनियम...................... वर्ष .... प्रकरण क्रमांक .... आदेश पारित दिनांक ....

8. बकाया राशि का विवरण (जो भी लागू हो) :–

स. क्र.	विवरण	बकाया राशि			
		कर	ब्याज	शास्ति (सुसंगत अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये नियम के अंतर्गत)	योग
(1)	किसी कर निर्धारण आदेश के अनुसार बकाया राशि				
(2)	वार्षिक विवरण पत्र के अनुसार बकाया				
(3)	कर निर्धारण आदेश अथवा किसी वैधानिक आदेश के अतिरिक्त बकाया राशि, जो विवरणी/				

	पुनरीक्षित विवरणी/स्व–कर निर्धारण विवरण के अनुसार देय हो, यदि कोई हो तो				
(4)	सुसंगत अधिनियम के अधीन बकाया के भुगतान हेतु प्रदत्त किश्त सुविधा आदेश में निहित ब्याज की राशि				
(5)	कुल बकाया (1+2+3+ 4) यथा लागू				
(6)	किसी न्यायालय के किसी अंतरिम आदेश अथवा अपील अथवा पुनरीक्षण में किया गया आंशिक भुगतान				
(7)	किसी न्यायालय के किसी अंतरिम आदेश अथवा अपील अथवा पुनरीक्षण आदेश (प्रत्यावर्तित किये गये प्रकरणों को छोड़कर) में दी गई छूट की राशि				
(8)	किश्त सुविधा हेतु प्राप्त आदेश के अनुसार जमा बकाया राशि				
(9)	भुगतान/छूट की राशि का योग (6+7+8)				
	निपटान हेतु दावाकृत राशि (5–9)				

9. अपीलीय प्राधिकारी/अधिकरण/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील का विवरणः–

(क) अपीलीय प्राधिकारी/ अधिकरण /उच्च न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील/ पुनरीक्षण/रिट/संदर्भ :–

अपील प्रकरण क्रमांक एवं दिनांक	कर निर्धारण प्रकरण क्रमांक एवं आदेश दिनांक	लंबित बकाया राशि				लंबित अपील/पुनरीक्षण/रिट/ संदर्भ के प्रत्याहरण का प्रमाण, पावती संख्या एवं दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)
		कर	ब्याज	शास्ति	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(ख) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 25(7) के अंतर्गत किश्त सुविधा प्राप्त करने वाले व्यवसायीः–

वास्तविक राशि, जिस हेतु किश्त सुविधा प्रदान की गई है	किश्त सुविधा आदेश में निहित ब्याज की राशि	इस प्ररूप को भरने की तिथि तक जमा की गई राशि	शेष बकाया राशि (1+2–3)
(1)	(2)	(3)	(4)

(ग) किसी न्यायालय के अंतरिम आदेश या अपील के पालन में या किसी अन्य स्थितियों में बकाया का भुगतान का विवरणः–

कर निर्धारण आदेश में मांग राशि	अपील में		न्यायालय के अंतरिम आदेश पर		अन्य जमा	
	जमा राशि	चालान कमांक व दिनांक	जमा राशि	चालान कमांक व दिनांक	राशि	चालान कमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

10. संलग्नक :–

1. कर निर्धारण/पुनः कर निर्धारण/शास्ति/अन्य वैधानिक आदेश की प्रमाणित प्रति :- पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक
2. सुसंगत अधिनियम के अधीन जारी मांगपत्र की प्रमाणित प्रति :- पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक
3. अपील/रिट/संदर्भ/पुनरीक्षण, जो लागू हो, के प्रत्याहरण का प्रमाण :- पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक
4. छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 के अनुसार शपथ पत्र :- पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक
5. आंशिक भुगतान का साक्ष्य (चालान) :- पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक
6. अन्य कोई दस्तावेज, कृपया निर्दिष्ट करें,– :- पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक

   क. :- पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक

   ख. :- पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक

   ग. :- पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक

   घ. :- पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक

   च. :- पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक

   :- पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक

संलग्न किये गये पृष्ठों की कुल संख्या :- पृष्ठ क्रमांक........ से .... तक

हस्ताक्षर...........................

आवेदक का नाम.....................

पता एवं दूरभाष क्रमांक ....

शपथ–पत्र

मैं .... पिता/पति का नाम .... उम्र .... फर्म में हैसीयत ....सत्यनिष्ठापूर्वक एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि मैने छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 को पूर्ण रूप से पढ़ एवं समझ लिया है एवं मैं छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 और छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान नियम, 2023 के प्रावधानों एवं शर्तों से सहमत हूं एवं इनका पालन करूंगा, तथा इस आवेदन में दिये गये समस्त सूचनाएं सही एवं पूर्ण है, एवं प्ररूप सीएसए–1 के सरल क्रमांक 01 से 10 तक भरे गये बकाया राशि एवं अन्य विवरण पूर्णरूपेण सत्य है। इसके साथ ही मैं यह भी घोषित करता हूं कि यदि इस आवेदन प्ररूप सीएसए–1 में दी गई सूचनाएं निपटान आदेश के पश्चात्, गलत पाया जाता है तो विभाग को मेरे विरूद्ध अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने का अधिकार है।

मैं छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 के अधीन पदनामित समिति के द्वारा यथा निर्धारित राशि के भुगतान हेतु वचनबद्ध हूं।

इस आवेदन को भरने वाले आवेदक का नाम

दिनांक.................. **हस्ताक्षर..**

स्थान .... **आवेदक का नाम...............................**

पता एवं दूरभाष क्रमांक ....

प्रतिहस्ताक्षर

वाणिज्यिक कर अधिकारी

प्ररूप सीएसए–1क

[नियम 5 (2) देखिये]

पावती

प्ररूप सीएसए–1..(व्यवसायी/फर्म का नाम), कर पहचान क्रमांक .... से प्राप्त, ...(अवधि) के बकाये के लिये तथा .... (सुसंगत अधिनियम) कुल बकाया राशि .... निम्न दस्तावेजों के साथ, जो पृष्ठ क्रमांक 01 से ....तक है, प्राप्त किया।

इसका वृत्त कार्यालय में आवक क्रमांक .... दिनांक ....है।

1.	कर निर्धारण/पुनः कर निर्धारण/शास्ति/अन्य वैधानिक आदेश की प्रमाणित प्रति	:-	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक
2.	सुसंगत अधिनियम के अधीन जारी मांगपत्र की प्रमाणित प्रति	:-	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक
3.	अपील/रिट/संदर्भ/पुनरीक्षण, यदि लागू हो, के प्रत्याहरण का प्रमाण	:-	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक
4.	छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 के अनुसार शपथ पत्र	:-	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक
5.	अन्य कोई दस्तावेज, कृपया निर्दिष्ट करें,–	:-	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक
6.	आंशिक भुगतान का साक्ष्य (चालान)	:-	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक
7.	क.	:-	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक
	ख.	:-	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक
	ग.	:-	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक
	घ.	:-	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक
	च.	:-	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक
	संलग्न किये गये पृष्ठों की कुल संख्या	:-	पृष्ठ क्रमांक........ से .... तक

प्राप्तकर्ता लिपिक का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक एवं कार्यालयीन मुहर

प्ररूप–सीएसए–2

[नियम 6 (3) देखिये]

प्रति,

आवेदक का नाम ....

पता ....

पिन ....

यतः, सुसंगत अधिनियम..अवधि ....से.. ....तक की बकाया राशि के निपटान हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक . ... में पदनामित समिति के द्वारा विसंगतियाँ पाई गई है।

....

....

....

अतएव, आपको निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है–

(क)
(ख)
(ग)
(घ)

इसके अतिरिक्त, आपको एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि आपको इस संबंध में सुनवाई के लिये समिति के समक्ष व्यक्तिगत रुप से, उपरोक्त अवधि के संबंध में दस्तावेज पेश करने या पेश करवाने के लिये तथा किसी भी साक्ष्य पर, जिस पर आप अपने आवेदन के समर्थन में विश्वास करते है, (स्थान)................(दिनांक).............. (समय).................... को उपस्थित होवें।

सीलमुद्राः

दिनांक :

हस्ताक्षर **हस्ताक्षर**

अध्यक्ष पदनामित समिति **सदस्य पदनामित समिति**

प्ररूप—सीएसए—3

[नियम 7देखिये]

(छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 की धारा 8 के अधीन निपटान आदेश)

निपटान आदेश

व्यवसायी/फर्म का नाम

....

करदाता पहचान क्रमांक/पंजीयन क्रमांक

....

पता..

मोबाईल नं.

....

ई—मेल आईडी

....

स्थायी खाता क्रमांक (PAN)

....

सुसंगत अधिनियम.......... वर्ष .... प्रकरण क्रमांक .... आदेश पारित दिनांक ....

बकाया राशि—

स. क्र.	विवरण	बकाया राशि			
		कर	ब्याज	शास्ति (सुसंगत अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये नियम के अंतर्गत)	योग
(1)	किसी कर निर्धारण आदेश के अनुसार बकाया राशि				
(2)	वार्षिक विवरण पत्र के अनुसार बकाया				
(3)	कर निर्धारण आदेश अथवा किसी वैधानिक आदेश के अतिरिक्त बकाया राशि, जो विवरणी/पुनरीक्षित विवरणी/स्व—कर निर्धारण विवरण के अनुसार देय हो, यदि कोई हो तो				

(4)	सुसंगत अधिनियम के अधीन बकाया के भुगतान हेतु प्रदत्त किश्त सुविधा आदेश में निहित ब्याज की राशि				
(5)	कुल बकाया (1+2+3+4) यथा लागू				
(6)	किसी न्यायालय के किसी अंतरिम आदेश अथवा अपील अथवा पुनरीक्षण में किया गया आंशिक भुगतान यदि प्रकरण में अंतरिम आदेश पारित हो गया है				
(7)	किसी न्यायालय के किसी अंतरिम आदेश अथवा अपील आदेश अथवा पुनरीक्षण आदेश (प्रत्यावर्तित किये गये प्रकरणों को छोड़कर) में दी गई छूट की राशि				
(8)	किश्त सुविधा आदेश के अनुसार जमा बकाया राशि				
(9)	कुल भुगतान/छूट की राशि का योग (6+7+8)				
(10)	दावाकृत निपटान राशि (5–9)				
(11)	इस अधिनियम के अधीन समाधान हेतु देय बकाया राशि				
(12)	इस अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध अनुतोष				
(13)	किसी न्यायालय के किसी अंतरिम आदेश अथवा अपील में किया गया आंशिक भुगतान (यदि अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ है) या अन्य आंशिक भुगतान				
(14)	पदनामित समिति द्वारा स्वीकृत राशि				

पदनामित समिति, एतद्द्वारा, निर्देशित करता है कि दिनांक............... को या इससे पूर्व, कुल राशि रूपये ....(अंको में) ....(शब्दों में) शासकीय कोषालय में उक्त अधिनियम की धारा 12 में विहित प्रकिया अनुसार जमा कर, ऐसे भुगतान का साक्ष्य, पदनामित समिति के समक्ष प्रस्तुत करें, ऐसा नहीं करने पर निपटान आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा।

हस्ताक्षर **हस्ताक्षर**

अध्यक्ष पदनामित समिति **सदस्य पदनामित समिति**

प्ररूप–सीएसए–4

[नियम 11 देखिये]

(छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 की धारा 13(1) के अधीन निपटान प्रमाण–पत्र)

निपटान प्रमाण–पत्र

पदनामित समिति द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यवसायी मेसर्स.................. टिन क्रमांक..........................की बकाया राशि रू............................... वर्ष................................सुसंगत अधिनियम................................के निपटान हेतु आवेदन पत्र सीएसए–1 में प्रस्तुत किया गया है, उपरोक्त आवेदन के परिप्रेक्ष्य में, धारा 8 के अंतर्गत जारी आदेश क्रमांक.........दिनांक.................. के अंतर्गत देय राशि..................................का संपूर्ण भुगतान व्यवसायी के द्वारा किया जा चुका है। अतएव, इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत व्यवसायी की, वर्ष...................... सुसंगत अधिनियम.................. की बकाया राशि.......................का निपटान हो चुका है।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**
अध्यक्ष पदनामित समिति	**सदस्य पदनामित समिति**

प्ररूप–सीएसए–5

[नियम 13 देखिये]

(छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 की धारा 14 के अधीन अपील हेतु आवेदन)

अपील हेतु आवेदन

प्रति,

आयुक्त
वाणिज्यिक कर छत्तीसगढ़
नवा रायपुर (छ.ग.)

आवेदक का नाम	:–	....
पता	:–	....
करदाता पहचानक्रमांक / पंजीयन क्रमांक	:–	....

यह अपील पदनामित समिति ....(समिति का विवरण) द्वारा पारित निपटान आदेश दिनांक ....के विरूद्व प्रस्तुत की जा रही है।

2. आदेश का विवरण :–

प्रकरण वर्ष	:–	....
अधिनियम	:–	....
आवेदक के अनुसार निपटान राशि	:–	....
पदनामित समिति द्वारा स्वीकृत निपटान राशि	:–	....

3. अपील के आधार :–

....

....

4. अपीलार्थी निम्नानुसार राहत दिये जाने की प्रार्थना करता / करती है :–

....

....

दिनांक :– .... अपीलार्थी के हस्ताक्षर
स्थान :– .... नाम ....

–:सत्यापन :–

ऊपर दिये गये सभी विवरण मेरे जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांकः.................. **अपीलार्थी का हस्ताक्षर**
स्थानः .... **नाम**
पता एवं दूरभाषक्रमांक

अटल नगर, दिनांक 15 सितम्बर 2023

क्रमांक एफ 10—40/2022/वाक/पांच (34). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10—40/2022/वाक/पांच (34), दिनांक 15—09—2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिम शिखर गुप्ता, सचिव.

Atal Nagar, the 15th September 2023

NOTIFICATION

No. F 10-40/2022/CT/V (34).–In exercise of the powers conferred by Section 23 of the Chhattisgarh Settlement of Arrears of Tax, Interest and Penalty Act, 2023 (No. 10 of 2023), the State Government, hereby, makes the following rules for settlement of arrears of tax, interest and penalty which were levied, payable or imposed under said Act, namely:-

RULES

CHAPTER-I

1. **Short title and commencement.–** (1) These rules may be called Chhattisgarh Settlement of Arrears of Tax, Interest and Penalty Rules, 2023.

   (2) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.–** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) '**Act**' means the Chhattisgarh Settlement of Arrears of Tax, Interest and Penalty Act, 2023 (No. 10 of 2023);

   (b) '**Form**' means the form appended to these rules.

   (2) All other words and expressions used in these rules but not specifically defined shall have the same meaning as defined thereto under the Act.

CHAPTER-II

3. Constitution of designated committee.- (1) A designated committee shall be constituted by the Commissioner.

(2) Designated committee shall have-

(a) where the amount of arrears is equal to or more than 10 Crore Rupees, Additional Commissioner of Commercial Tax and one such officer not below the rank of Deputy Commissioner as members;

(b) where the amount of arrears is less than 10 Crore Rupees, Deputy Commissioner of Commercial Tax and one such officer not below the rank of Assistant Commissioner of commercial tax as members;

(c) where the amount of arrears is not more than 2 Crore Rupees, Assistant Commissioner of Commercial Tax and one such officer not below the rank of Commercial tax officer as members;

(d) where the amount of arrears is not more than 50 lakhs Rupees, Commercial Tax Officer and one such officer not below the rank of Assistant commercial tax officer as members;

(e) where the amount of arrears is not more than 5 lakhs Rupees, Assistant Commercial Tax Officer and one Commercial tax inspector as members;

Explanation- for the purpose of this rule "amount of arrears" means amount of arrears in respect of any person or dealer for one financial year or part thereof under the Relevant Act.

(3) The Commissioner may nominate a senior member as the Chairman of the designated committee.

(4) The Commissioner shall have power to nominate such

other officers in the committee constituted under sub-rule (1), as he deems fit, to assist the members of the designated committee.

(5) The Commissioner may constitute such number of designated committee as he may deem fit.

CHAPTER-III

4. Eligibility for settlement.- (1) Persons filing application under Section 6 of the Act shall be eligible to apply for the settlement of arrears with interest on the date of application with respect to sub-section (2) of Section 5 of the Act:

Provided that, calculation of above mentioned interest shall be according to provisions of the Relevant Act and this shall be added in calculating arrears of interest.

(2) Persons who have availed benefit of the Chhattisgarh Vanijyik Kar (Bakaya Rashi) Saral Samadhan Yojna, 2010 shall be eligible for settlement under this Act only for the arrears which are related to periods after the said yojna.

5. Form and manner of Application.- (1) The application may be filed by the applicant in **Form CSA-1**, before the Commercial Tax Officer of such circle under which territorial jurisdiction applicant is or was registered or liable to be registered, during the period prescribed by the Government through Notification.

(2) On receipt of the application Form, an acknowledgement shall be given to the applicant by the Commercial Tax Officer in **Form CSA-1A**.

(3) A separate application shall be filed for each assessment year, relevant Act-wise and Year-wise.

Explanation- for the purpose of this rule "year" means the financial year commencing on the 1st day of April and ending on the following 31st day of March and includes part of the year.

(4) Every application shall have the following documents as

enclosures:-

(i) An authenticated copy of assessment or re-assessment or penalty or other orders passed in statutory proceedings; and

(ii) An authenticated copy of Notice of demand issued for payment or any sum due under the Relevant Act; and

(iii) Certified copy of the challan, if any amount has been deposited or recovered earlier in pursuance of the demand notice

(iv) Authenticated copy of proof of withdrawal of application of appeal or revision or writ petition or reference, as the case may be, under the relevant Act, pending before Supreme Court or High Court or Commercial Tax Tribunal or Chhattisgarh Commercial Tax Department or Commissioner or Appellate Authority; and

(v) Certified copy of part payment in respect of arrears, if any, made before the application.

(vi) An Affidavit swearing on oath that the particulars of **Form CSA-1** are true to the best of his knowledge and faith; and

(vii) Any other document as the Commissioner may by written order specify.

(5) No fee shall be payable for submission of the application under the Act.

(6) The application shall be signed by the proprietor of the business or in the case of a firm or partnership by a partner or director of the firm or in the case of a Hindu undivided family business by the manager or karta of the Hindu undivided family or in the case of a company incorporated or deemed to be incorporated under the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013), or any other law for the time being in force by the Principal Officer managing the business or in case of a society, club or association by the President or Secretary responsible for the management of such society, club or association or in the case of the

Central or a State Government or any of their departments, by the officer-in-charge of the business of selling or supplying or distributing goods and in the case of a dealer who resides outside the State but who has place of business in the State, by his authorized representative.

(7) The application made under sub-rule (1) shall be made only in the Form prescribed under this rule.

(8) The time period for submission of application shall be notified by the Government separately.

CHAPTER-IV

6. Procedure Adopted for issuance of settlement order by the Designated Committee.- (1) The Commercial Tax Officer, after receipt of the application, shall transfer the application along with the relevant documents of the case to appropriate designated committee within 15 days of receipt of such application:

Provided that, where on receipt of the application from the commercial tax officer the Designated committee is of the opinion that such application should be considered by any other Designated Committee, such case shall be transferred by the Designated Committee to such other appropriate Designated Committee and applicant shall be informed thereof.

(2) On receipt of such application, the designated committee shall examine the application based on the particulars furnished by the applicant as well as the records available with the Department.

(3) In case any discrepancy found in the application, the designated committee shall issue a notice to provide an opportunity of hearing in **Form CSA-2**, within 45 days of receipt of such application.

(4) Applicant himself or his legal representative or authorized representative, may appear before the designated

committee for personal hearing under this rule.

(5) The applicant may, within 7 days of receipt of such notice, file reply with regard to the discrepancies specified therein.

7. Issue of Settlement Order.- (1) The designated committee shall examine the reply received from the applicant in respect of the discrepancies mentioned in the notice and if the replies found appropriate, the designated committee shall issue the settlement order specifying the settlement amount in **Form CSA-3**, within 90 days from the date of receipt of the application. In respect of discrepancies mentioned in the notice, if the response of the applicant is not found appropriate or if the response is not received from the applicant by the date mentioned in the notice, the designated committee shall dismiss the case by an order within 90 days of receipt of such application.

(2) If no discrepancy is found then, the designated Committee after verification of the application and within 90 days of receipt of such application, issue an Order of Settlement in **Form CSA-3**, specifying settlement amount therein:

Provided that, if the designated committee, after due verification of the particulars of application Form, finds the case ineligible, it shall dismiss the case by an order within 90 days of receipt of such application.

CHAPTER-V

8. Determination of Settlement amount.- The designated committee shall after deducting the amount of relief as per Schedule-A of the Act from the arrears as defined in the Act, calculate rest amount as settlement amount:

Provided that, in such cases where part payment of arrears has been done before coming into force of the Act then, the settlement amount shall be calculated after adjustment of the payment made earlier from the amount reached at after deducting the amount of relief as per Schedule-A of the Act.

9. Adjustment of any payment made under the Relevant Acts and settlement of arrears of tax, interest and penalty, if

any.- (1) Any payment made on or before the date of coming into force of the Act shall be adjusted against such arrears of tax, interest and penalty respectively in the same proportion in which they constitute the arrears.

(2) After adjustment of payment made earlier as per sub-rule (1) excess amount, if any shall not be allowed to be refunded.

(3) Subject to the proviso to Section 6 of the Act, the arrears relating to statutory orders passed after the last date for submission of application under these rules, shall not be settled.

(4) Payment of the settlement amount under these rules shall not be allowed in installment.

10. Form and manner of making the payment.- The applicant shall pay the settlement amount for each case separately in the manner and challan form prescribed under the Relevant Acts and Rules made thereunder within 15 days from the receipt of settlement order.

11. Issue of Settlement Certificate.- The designated committee on being satisfied that the applicant has paid in full the settlement amount as determined by it and on submission of proof of payment and proof of withdrawal of appeal or writ petition, as the case may be, shall issue a settlement certificate in **Form CSA-4**, within 30 days of production of such proof.

CHAPTER-VI

12. Transfer of Proceedings.- (1) The commissioner may transfer any proceeding under these rules from one designated committee constituted under rule 3 to another such competent designated committee and intimation about the transfer of any such proceeding or proceedings shall be sent to the applicant.

(2) Where any proceeding or proceedings is transferred, the designated committee to whom such proceeding is transferred shall proceed to disposed off, as if it had been initiated by the said designated committee. Such transfer shall not render necessary the reissue of any notice already issued before the transfer.

CHAPTER-VII

13. Appeal.- An appeal under Section 14 of the Act, may be filed before the Commissioner, Commercial Tax against the order of Designated Committee within 30 days from receipt of the settlement order in **Form CSA-5.**

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
HIM SHIKHAR GUPTA, Secretary.

FORM-CSA–1

[See rule 5(1)]

Form of Application under Section 6 of the Chhattisgarh Tax, Interest and Penalty Settlement Act, 2023

1. **Name of the Dealer / Firm**
   ....
2. **Tin No./Registration No.**
   ....
3. **Address**
   ....
4. **Mobile No.**
   ....
5. **Email Id**
   ....
6. **PAN (Permanent Account Number)**
   ....
7. **Relevant Act .... Year .... Case No. .... Date of Order.....................**
8. **Details of Arrears (Whichever is applicable)**

S. No.	Details	AMOUNT OF ARREARS			
		Tax	Interest	Penalty (Under Relevant Act and Rules made there under)	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	Amount of arrears as per any Assessment Order				
(2)	Arrears as per Annual Statement				
(3)	Amount of arrears other than Assessment Order Or Any Statutory Order payable as per Return/Revised Return/Self Assessment, If Any				
(4)	Amount of interest under installment order for payment of arrears under the				

	relevant Act				
(5)	Total Arrears (1+2+3+4)				
(6)	Amount partly paid under any Interim order of any court of law or appeal or Revision				
(7)	Amount of relief under any interim order of any court of law or under appeal or revision order (except remand cases)				
(8)	Amount paid as per installment order				
(9)	Total amount paid/Total relief (6+7+8)				
(9)	Amount claimed for settlement (5 - 9)				
Grand Total					

9. Details of appeal pending before the Appellate Authority/ the Tribunal /the High Court/the Supreme Court:-

(A) Appeal/ Revision/ Writ/ Reference pending before the Appellate Authority/ Tribunal / High Court/ Supreme Court:-

Appeal Case No. and Date	Assessment Case No. and Date of Order	Amount of Arrears				Proof of withdrawal of Pending Appeal/ Revision/ Writ/ Reference Withdrawal Acknowledgement No. and Date (Attach Photocopy)
		Tax	Interest	Penalty	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(B) Dealers Availing Installment Benefit sub-section (7) of Section 25 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005).

Actual amount for which installment benefit is granted	Amount of Interest involved in installment order	Amount Deposited till date of filling this form	Remaining amount of arrears
(1)	(2)	(3)	(4)

(C) Details of payment of Arrears in respect of interim order of any court or appeal or any other circumstances

Demand as per assessment order	In Appeal		Under Interim order of court		Any other amount Deposited	
	Deposited Amount	Challan No. and Date	Deposited Amount	Challan No. and Date	Deposited Amount	Challan No. and Date

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

10. Annexure:-

1.	Authenticated Copy of Assessment/Re-Assessment / Penalty/ Other Statutory Order	:-	Pg. ....to ......
2.	Authenticated Copy Of Demand Notice under Relevant Act	:-	Pg. ....to ......
3.	Proof of Withdrawal of Appeal/Writ/Reference/Revision, If Applicable	:-	Pg. ....to ......
4.	Affidavit as per the Chhattisgarh Settlement of Arrears of Tax, Interest and Penalty Act, 2023.	:-	Pg. ....to ......
5.	Proof of partial payment (Challan)	:-	Pg. ....to ......
6.	Any other document, please specify	:-	Pg. ....to ......
7.	A.	:-	Pg. ....to ......
	B.	:-	Pg. ....to ......
	C.	:-	Pg. ....to ......
	D.	:-	Pg. ....to ......
	E.	:-	Pg. ....to ......
	Total Number of pages attached	:-	Pg ....to ......

AFFIDAVIT

I.............................., S/o..............................Age..........
Status in Firm ....do hereby, solemnly declare that, I have read and understood completely the Chhattisgarh Settlement of Arrears of Tax, Interest and Penalty Act, 2023 and agree to abide by the provisions and conditions of the Chhattisgarh Settlement of Arrears of Tax, Interest and Penalty Act, 2023 and Chhattisgarh Settlement of Arrears of Tax, Interest and Penalty Rules, 2023 and I will follow then and the information given in this application is correct and complete and the amount of tax dues and other particulars shown in Form CSA-1, Serial Number 01 to 10 are truly stated and I also declare that if any information given in this application Form CSA-1 found incorrect after the settlement order then the department has right to take actions under Act.

I, shall commit to pay the amount as may be determined by the designated committee under the Chhattisgarh Settlement of Arrears of Tax, Interest and Penalty Act, 2023.

Name of applicant filing this Application.

Dated..................

Place ....

Signature ....

Name of Applicant ....

Address and Phone No...........................

Countersign

Commercial Tax Officer

FORM-CSA-1A

[See rule 5(2)]

ACKNOWLEDGEMENT

Received Form CSA-1 from .... (Name of the Dealer/Firm) Tax Identification Number .... (TIN) Received for the arrears for .... (Period) And .... (Relevant Act) for total outstanding amount of Rs. ....along with following documents attached paging from No. 01 to .... as Circle Office Inward Number .... Dated .... :-

1.	Authenticated Copy of Assessment/Re-Assessment / Penalty/ Other Statutory Order	:-	Pg. ....to ......
2.	Authenticated Copy of Demand Notice under Relevant Act	:-	Pg. ....to ......
3.	Proof of Withdrawal of Appeal/Writ/Reference/Revision, If Applicable	:-	Pg. ....to ......
4.	Affidavit as per the Chhattisgarh Settlement of Arrears of Tax, Interest and Penalty Act, 2023.	:-	Pg. ....to ......
5.	Any other document, please specify	:-	Pg. ....to ......
6.	A.	:-	Pg. ....to ......
	B.	:-	Pg. ....to ......
	C.	:-	Pg. ....to ......
	D.	:-	Pg. ....to ......
	E.	:-	Pg. ....to ......
	Total Number of pages attached	:-	Pg ....to ......

Name and Signature of receiving clerk,

Date and Office Stamp

FORM-CSA–2

[See rule 6(3)]

To,

Name of Applicant ....
Address ....
TIN ....

Whereas, the designated committee has found discrepancy in the Application dated .... furnished by you for the purpose of settlement of arrears, in respect of the period .... to ....
Relevant Act ....
....
....

Now therefore, you hereby, directed to produce the following documents:-

(a)
(b)
(c)
(d)

Further, you are hereby, directed to attend in person before the designated committee for being heard in this regard and to produce or cause to be produced the documents in respect of the above period and on any evidence on which you rely in support of your application at .... (place) .... (time) on .... (date).

Seal

Dated

Signed	Signed
Chairman of Designated Committee	Member of Designated Committee

FORM-CSA-3

[See rule 7]

(Order of settlement under Section 8)

ORDER OF SETTLEMENT

Name of the Dealer / Firm

....

Tin No.

....

Address

....

....

Mobile No.

....

Email Id

....

PAN

....

Relevant Act .... Year .... Case No. .... Date of Order.............................

Amount of Arrears:-

		AMOUNT OF ARREARS			
		Tax	**Interest**	**Penalty (Under Relevant Act and Rules Made thereunder)**	**Total**
(1)	**Amount of arrears as per any Assessment Order**				
(2)	**Arrears as per Annual Statement**				
(3)	**Amount of arrears other than Assessment Order Or Any Statutory Order payable as per Return/Revised Return/Self Assessment, If Any**				
(4)	**Amount of interest involved in installment order for payment of**				

	arrears under the relevant Act				
(5)	**Total Arrears (1+2+3+4)**				
(6)	**Amount partly paid under any Interim order of any court of law or appeal or Revision, if final order has been passed in case**				
(7)	**Amount of relief under any interim order of any court of law or under appeal or revision order (except remand cases)**				
(8)	**Amount Deposited as per installment order**				
(9)	**Total amount paid/total relief (6+7+8)**				
(10)	**Amount claimed for settlement (5-9)**				
(11)	**Amount outstanding to be settled under this Act**				
(12)	**Relief available under this Act**				
(13)	**Amount partly paid under interim order of any court or appeal (if final order is not passed) or otherwise partly paid.**				
(14)	**Amount accepted by the designated committee**				

The designated Committee hereby, directs you to pay.........(in figures).............(in words)................... on or before dated............ in governments treasury in the procedure mentioned under Section 12 or the said Act and produce proof of such payment before the designated committee, failing which settlement order would stands obsolete.

Signed

Chairman of Designated Committee

Signed

Member of Designated Committee

FORM-CSA-4

[See rule 11]

[Certificate of settlement under sub-section (1) of Section 13 of the Chhattisgarh Settlement of Arrears of tax, Interest and Penalty Act, 2023]

CERTIFICATE OF SETTLEMENT

It is certified by the designated Committee that an application has been filed for the settlement of arrears of Rs............Year........Relevant Act...........of Dealer M/S.........TIN......... In reference to the above cited application in CSA-1 the dealer has paid the amount in full............... as per Order No. ......Dated........... under of Section 8. Therefore, the arrears of Rs..............pertaining to...............Relevant Act..........Year ....of the Dealer has been settled under the various provisions of this Act.

Signed	Signed
Chairman of Designated Committee	Member of Designated Committee

FORM-CSA-5

[See rule 13]

[Application of Appeal under Section 14 of the Chhattisgarh Settlement of Arrears of tax, Interest and Penalty Act, 2023]

APPLICATION OF APPEAL

To,

Commissioner,
Commercial Tax, Chhattisgarh
Nava Raipur (C.G.)

Name of Applicant :- ....

Address :- ....

Dealer Identify Number/Registration No. :- ....

This appeal is being filed against order dated......................of designated committee (details of committee)..

2. Details of order
   Case year ....
   Act ....
   Settlement amount as per applicant ....
   Settlement amount decided by designated committee ....
3. Grounds of appeal
   ....
4. The appellant prays for following relief/relives

Date :- .... Signature of Appellant...................

Place :- .... Name..

VERIFICATION

All the facts stated above are correct as per my information and belief.

Date :- .... Signature of Appellant...................

Place :- .... Name..

Address and Mobile Number ....

अटल नगर, दिनांक 15 सितम्बर 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–40 / 2022 / वाक / पांच (35). — छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान नियम, 2023 के नियम 5 के उपनियम 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, एतद्द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि उक्त नियम के प्रवर्तन की तिथि से दिनांक 31 जनवरी 2024 तक के लिए नियत करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिम शिखर गुप्ता, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 15 सितम्बर 2023

क्रमांक एफ 10–40 / 2022 / वाक / पांच (35). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–40 / 2022 / वाक / पांच (35), दिनांक 15–09–2023 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिम शिखर गुप्ता, सचिव.

Atal Nagar, the 15th September 2023

NOTIFICATION

No. F 10-40 /2022/CT/V (35). – In exercise of the powers conferred by sub-rule 8 of rule 5 of The Chhattisgarh Settlement of Arrears of Tax, Interest and Penalty Rules, 2023, State Government hereby appoints the time period for submission of application from the date of enforcement of the said rule till 31 January 2024.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
HIM SHIKHAR GUPTA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.